न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. इस्माईल पुत्र गनी खां मुसलमान
2. गफूर पुत्र गनी खां मुसलमान
   निवासी बागोट तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. निजाम पुत्र इब्राहीम मुसलमान
2. सत्तार पुत्र हजारी मुसलमान
3. हारून पुत्र हजारी मुसलमान
4. हनीफ पुत्र हजारी मुसमलना
5. फकीर मो. पुत्र इब्राहीम मुसलमान
6. छोटू पुत्र इब्राहीम मुसलमान
7. खेमाराम पुत्र मोतीराम जाट
8. बिरजूड़ी पत्नी मोतीराम जाट
9. पेमाराम पुत्र बोदूराम जाट
10. रामदीन पुत्र बोदूराम फौत
    10/1 डालूराम पुत्र रामदीन जाट
    10/2 देवकरण पुत्र रामदीन जाट
    निवासी सभी बागोट तह. परबतसर
11. तहसीलदार, परबतसर
12. नायब तहसीलदार भकरी

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित :– श्री प्रहलादराम मिर्धा अधिवक्ता वादीगण
श्री रामनिवास दिवाकर अधिवक्ता प्रतिवादी 1, 2, 5, 6

मुकदमां नम्बर :– 2019/00090 निर्णय दिनांक :– 07.03.2022

निर्णय

1. वादीगण ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि वक्त सेटलमेन्ट खसरा न्म्बर 228 रकबा 18–15 बीघा था कालान्तर में बट्टा नम्बर 228, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5 कुल रकबा 18–15 बीघा कायम हुए है। इस भूमि में 1/2 हिस्सा मोतीराम पुत्र बोदूराम, रामदीन पुत्र बोदूराम, पेमाराम पुत्र बोदूराम का तथा 1/2 हिस्सा वादीगण के बडे पिता इब्राहीम व वादी के पिता गनी दोनों की खातेदारी में था। जिसके बाद भूमि का बंटवारा हो गया उसके अनुसार पूर्वी तरफ का 1/2 हिस्सा बोदूराम के लड़को का व पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा नेनू लुहार के लडके इब्राहीम व गनी का था उक्त जमीन का ज्यादा हिस्सा खसरा नम्बर 228 कंवलाद बागोट सड़क के दक्षिण में आयी हुई है तथा थोडा सा हिस्सा खसरा नम्बर 228/4 सड़क के उत्तर में खसरा नम्बर 554 आया हुआ है जो सेटलमेन्ट के नक्शे से स्पष्ट साबित होता है। जमीन खसरा नम्बर 228 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है इस भूमि के सम्बन्ध में नेनू के लड़के इब्राहीम व गनी ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी परबतसर के यहां दादा किया उसमें कोई रास्ता नहीं होने की बात दर्ज थी ओर निवेदन किया गया था की उनकी अनुपस्थिति में खसरा नम्बर 228 मिन रकबा 5 बिस्वा उनको बिना सुने गलत दर्ज किया गया है तथा यह भी निवेदन किया गया की खसरा नम्बर 227 व 228 के बीच उत्तर से दक्षिणी कोई रास्ता नहीं है। इस वाद का अनुवान इब्राहीम बनाम सरकार मुकदमां नम्बर 111/93 जिसका निर्णय दिनांक 31.08.2006 को किया गया तथा नेनू के लड़के इब्राहीम व गनी का वाद अस्वीकार कर दिया गया था। उपरोक्त वाद में वादीगण को कभी इस जमीन में रास्ता होने के बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया तथा इब्राहीम व गनी के वारिसान ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि का बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार 1/4 हिस्सा पूर्वी तरफ का इब्राहीम के वारिसान का तथा 1/4 पश्चिमी हिस्सा गनी के वारिसान का रखा मौके पर आज

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

भी इसी प्रकार काबिज है। स्वर्गीय इब्राहीम के पुत्र हजारी व फकीर मोहम्मद ने बंटवारे का एक दावा किया जिसमें यह वादी थे तथा हम वादी गनी व ग़फूर व मां शरीफन प्रतिवादीगण थे क्योंकि दौराने दावा गनी का स्वर्गवास हो गया था तथा हजारी व फकीर ने इब्राहीम के पुत्र निजाम, छोटू व पत्नी घेवरी पत्नी इब्राहीम को प्रतिवादी बनाया गया था क्योंकि उन्होने उस वाद में हजारी व फकीर के साथ दावा करने की सहमति नहीं दी थी तथा शेष 1/2 हिस्से पूर्वी बाबत मोती, रामदीन, पेमाराम को प्रतिवादी बनाया गया था। इस वाद का अनुवान हजारी बनाम गनी मुकदमां नम्बर 68/2009 जिसका निर्णय पहले प्राथमिक डिक्री के तौर पर हुआ बाद में आरआई हल्का व पटवरी से मौका बंटवारा की स्कीम मंगवायी जाकर दिनांक 19.12.2011 को निर्णय हो गया और उस निर्णय के अनुसार हम वादीगण के पुत्रो का सम्पूर्ण जमीन में 1/4 हिस्सा पश्चिमी तरफ का रखा गया इब्राहीम के उत्तराधिकारियों का 1/4 हिस्सा पूर्वी तरफ रखा गया और इनके पूर्व में 1/2 हिस्सा बोदूराम के पुत्रो का रखा गया जिस प्राथमिक डिक्री की पीडी की नकल साथ पेश है उक्त दावा जो करीब 3 – 4 साल चला था कही पर भी खसरा नम्बर 228 में किसी भी स्थान पर रास्ता होने का जिक्र नहीं है। उक्त वाद के निर्णय दिनांक 19.12.2011 से नाराज होकर एक अपील आरएए नागौर में हजारी पुत्र इब्राहीम के कायम मुकामन द्वारा प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 15.02.2018 को अपीलान्ट हजारी के पक्ष में हुआ तथा आरएए नागौर के निर्णय दिया की दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर राजस्व नियमों अनुसार बंटवारा स्कीम मंगवाई जाकर पुनः निर्णय पारित करे आरएए नागौर के निर्णय दिनांक 15.02.2018की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में इस्माईल व गफूर पि. गनी ने कर रखी हे तथा उसमें वादीगण को सुनकर राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 22.02.2018 को स्थगन आदेश जारी किया है जिसमें राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश है जो प्रभावी है इस दौरान भू– प्रबन्ध कार्य हुआ जिसमें खसरा नम्बर 228 के नवीन खसरा नम्बर 560, 555, 559, 568 दर्ज किये गये है इस भूमि पर कहीं पर भी रास्ता नहीं है लेकिन प्रतिवादी 12 द्वारा खसरा नम्बर 559 गै.मु. रास्ता पर अतिक्रमण का नोटिस वादीगण को दिया है नोटिस प्राप्त होने के बाद नकल प्राप्त की तो जानकारी में आया कि इस्माईल व गनी के हिस्से की भूमि के नये खसरा नम्बर 560 जो सड़क के दक्षिण में है और खसरा नम्बर 554 जो सड़क के डत्तर में है तथा खसरा नम्बर 560 के पश्चिम में एक रास्ता नक्शे में खसरा नम्बर 559 दर्ज पाया गया है। वादीगण की जमीन में जो रास्ता दर्शाया है उक्त रास्ता रेकार्ड व नक्शे में दर्ज करते समय वादीगण को सुना ही नहीं गया एक ही जगह दो रास्ते कही पर भी नहीं है वादीगण ने पूर्व में एक वाद 111/93 इब्राहीम बनाम सरकार किया था जो खारिज हो चुका है उसकी वजह से वादीगण की अनुपस्थिति में रास्ता दर्ज कर दिया जिसमें वादीगण को सुनने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। बिनाय दावा दिनांक 26.02.2019 को प्रतिवादी 11 , 12 द्वारा नाजायज नोटिस देने पर तथा खसरा नम्बर 559 रास्ता बताने पर व मौके पर जबरदस्ती वादीगण की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 560 में से रास्ता निकालने की घमकी देन व दिनांक 20.06.2019 को जेसीबी मशीन से रास्ता निकालने का प्रयास करने पर बमुकाम बागोट पैदा हुआ है। वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम बागोट के गत खसरा नम्बर 228 जिसके नये खसरा नम्बर 560 है उसमें प्रतिवादी 11, 12 द्वारा वादीगण की अनुपस्थित में खसरा नम्बर 560 की पश्चिमी सीव पर खसरा नम्बर 559 के पश्चिम में खसरा नम्बर 568 गैर कानूनी रूप से इन्द्राज किया गया है जिसको अवैध घोषित फरमाया जावे व खसरा नम्बर 559 की जमीन की इन्द्राज पुनः वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावे, तथा प्रतिवादी 11 , 12 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया वादीगण की खातेदारी सुदा भूमि में कोई नया रास्ता नहीं निकले रास्ता निकाल दिया है तो पूर्व स्थिति कायम की जावे।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1, 2, 5, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास दिवाकर ने दिनांक 29.07.2019 को वकालतनामा पेश कर जबाब हेतु समय चाहे जाने पर समय दिया गया तथा प्रतिवादी 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12 के सम्मन विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बाजवूद अनुपस्थित रहने पर एक

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

पक्षीय कार्यवाही आमल में लायी गई। दिनांक 01 .09.201 को बकाया प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बाजवूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 1, 2, 5, 6 ने दिनांक 15.02.2022 को वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबालिया जबाब पेश किया है। वादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहे जाने पर साक्ष्य बन्द की गई। वादीगण ने वाद के साथ फार्म नम्बर 3 में दस्तावेज पेश किये है।

3. वादीगण के वाद पर उभय पक्षकारो के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।

4. वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है कि विवादित भूमि के गत खसरा नम्बर 228 रका 18–15 बीघा भूमि रहे है, जिसके बाद में बंटा नम्बर 228, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5 कुल रकबा 18–15 बीघा कायम हुए है जिसका बाद में विधिवत रूप से बंटवारा हो गया है। खसरा नम्बर 228 में कभी कोई रास्ता रहा ही नहीं है। इस भूमि को लेकर पूर्व में दो वाद विचाराधीन रहे है जिसमें भी रास्ते का कोई उल्लेख नहीं है, पूर्व में भूमि का बंटवारा प्रस्ताव भी प्रकरण संख्या 68/2009 हजारी बनाम गनी में मंगवाया गया था जिसमें भी उक्त भूमि में किसी प्रकार के रास्ते का उल्लेख नहीं है। गत खसरा नम्बर 228 के वर्तमान खसरा नम्बर 560, 555, 559, 568 कायम हुए है। वादीगण के हक हिस्से व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 560 के पश्चिम में राजस्व विभाग द्वारा खसरा नम्बर 559 गै. मु. रास्ता गलत अंकित कर दिया है उक्त रास्ते के आदेश को अवैध घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 559 रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि का वादीगण के नाम इन्द्राज करने का आदेश फरमाया जावे। वादीगण ने इसके समर्थन में सम्वत 2018 से 2061 तक की लगतार जमाबन्दी पेश की है। खसरा मिलन क्षेत्रफल एवं वर्तमान जमाबन्दी 2074–77 वाद के साथ पेश की है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2018 से 2033 तक ग्राम बागोट के खसरा नम्बर 228 कुल रकबा 21–00 बीघा दर्ज है। जबकि वादीगण का कहना है कि सेटलमेन्ट के वक्त से खसरा नम्बर 228 का कुल रकबा 18–15 बीघा रहा है, जो गलत कथन है। सम्वत 2018 से 2021 में उक्त भूमि की खातेदारी भागीरथ पुत्र रूपा जाट 1/2 हिस्सा नानू पुत्र अब्दुल लुहार 1/2 हिस्सा दर्ज रही है। सम्वत 2026–2029 में खसरा नम्बर 228 रकबा 21–00 बीघा भूमि खातेदारी रतना, शिवनाथ, शिवकरण, मांगू पि. भागीरथ 1/2 हिस्सा व नानु वल्द अब्दुल लोकर 1/2 हिस्सा दर्ज रही है जिसके बाद इस भूमि में मोती पुत्र बोदू 1/6 हिस्सा, रामदीन पुत्र बोदू 1/6 हिस्सा, पेमा पुत्र बोदू 1/6 हिस्सा तथा इब्राहीम, गन्नी पि. नानु 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज हुई है। सम्वत 2030–33 में उक्त भूमि में से सड़क निकलने पर खसरा नम्बर 228 रकबा 21–00 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 228, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5 कुल रकबा 19–00 बीघा भूमि खातेदारो की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 228/1 रकबा 2–00 बीघा भूमि सड़क पी.डब्ल्यू.डी. के नाम दर्ज हुई है। जो जमाबन्दी सम्वत 2034–2037 से स्पष्ट होता है। वादीगण द्वारा सम्वत 2042–45 की जमाबन्दी पेश की है जिसमें खाता संख्या 1 राजस्थान सरकार के नाम खसरा नम्बर 228 मीन रकबा 0–05 बीघा भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज है, तथा खसरा नम्बर 228/2, 228/3, 228/4, 228/5 कुल रकबा 18–15 बीघा भूमि मोती पुत्र बोदू 1/6 हिस्सा, रामदीन पुत्र बोदू 1/6 हिस्सा, पेमा पुत्र बोदू 1/6 हिस्सा तथा इब्राहीम, गन्नी पि. नानु 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 228 मीन रकबा 0–05 बीघा भूमि नामान्तकरण संख्या 370 जो इस कार्यालय के आदेश /राजस्व/83/1109–1110 दिनांक 05.08.1983 की अनुपालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 15.09.1983 को दर्ज कर भू.अ.निरीक्षक के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था दिनांक 20.09.1983 को जांच होने पर नामान्तकरण दिनांक 21.10.1983 को सरपंच ग्राम पंचायत बागोट द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसके बाद से ही खसरा नम्बर 228 मीन रकबा 0–05 बीघा भूमि राजकीय खाता संख्या 1 में गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं एवं शेष भूमि

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

खातेदारो की खातेदारी में दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 370 से स्पष्ट होता है कि गत खसरा नम्बर 228, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5 कुल रकबा 19–00 बीघा की भूमि जिसमें मोती पुत्र बोदू 1/6 हिस्सा, रामदीन पुत्र बोदू 1/6 हिस्सा, पेमा पुत्र बोदू 1/6 हिस्सा तथा इब्राहीम, गन्नी पि. नानु 1/2 हिस्सा दर्ज खातेदारी में से खसरा नम्बर 228 मीन रकबा 0–05 बीधा कम होकर राजकीय खाते में गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त रास्ता केवल वादीगण के हिस्से की भूमि में से कम नहीं होकर सम्पूर्ण खातेदारो की खातेदारी में से कम हुआ है। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 228 मीन के नवीन खसरा नम्बर 558 रकबा 0.04 हैक्टयर कायम हुए है तथा 228, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5 रकबा 18–15 बीघा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 560, 555, 559, 568 कायम हुए है। वर्तमान में खसरा नम्बर 554, 560, 561, 562 कुल रकबा 2.85 हैक्टयर भूमि में कुल 11 खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है इसी प्रकार खसरा नम्बर 557, 557/1, 557/2 कुल रकबा 0.36 हैक्टयर भूमि गै.मु. आवासीय प्रयोजनार्थ कमलादेवी, नारायणराम, भीयाराम, रूपाराम, रामकरण, सुगनाराम व हड़मानराम के नाम दर्ज है, तथा खसरा नम्बर 569 रकबा 1.54 हैक्टयर भूमि अन्य खातेदारो की खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2042–2045 में भी खसरा नम्बर 228 मिन रकबा 5 बिस्वा गै.मु. रास्ता खाता संख्या 1 राजकीय भूमि के रूप में दर्ज रिकार्ड है, जो आज दिनांक तक भी खाता संख्या 1 में ही दर्ज चला आ रहा है। वादीगण स्वंय अपने वाद के पैरा संख्या 5 में अंकित किया है कि एक वाद इब्राहीम बनाम राजस्थान सरकार पेश किया था जो दिनांक 31.08.2006 को अस्वीकार किया गया था। जिससे भी स्पष्ट होता है कि वादीगण को उक्त रास्ते की जानकारी पूर्व से ही थी। इसके अतिरिक्त वादीगण का कथन है कि पूर्व में वाद में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारे का निर्णय किया गया था जिसमें रास्ते का उल्लेख नहीं है इस सम्बन्ध में यह है कि पूर्व वाद खसरा नम्बर 228 व उसके बंटवारान जिनकी भूमि खातेदारो की खातेदारी में दर्ज के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत होकर निर्णय हुआ है खसरा नम्बर 228 मिन गे.मु. रास्ता सम्वत 2042 से राजकीय खाते अलग से दर्ज है, जिसका उल्लेख पूर्व वाद के निर्णय व बंटवारा प्रस्ताव में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण के कथनों को एक बार के लिये मान लिया जाता है कि खसरा नम्बर 228 में से जरिये नामान्तकरण 370 के खसरा नम्बर 228 मिन रकबा 5 बिस्वा गै.मु. रास्ता किसी को बिना सुने गलत दर्ज कर दिया है तो भी खसरा नम्बर 228 मिन रकबा 5 बिस्वा की भूमि अकेले वादीगण के हिस्से में से कम नहीं होकर सभी खातेदारो की खातेदारी से कम हुई है। जिसकी खातेदारी अकेले वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी नहीं है, वादीगण के अतिरिक्त अन्य ओर भी खातेदार है जिनके द्वारा उक्त रास्ते के सम्बन्ध में कभी कोई एतराज नहीं किया है। वादीगण द्वारा वाद में जो तथ्य एवं इस्तदुआ चाही गई है इस सम्बन्ध में इस न्यायालय से पूर्व में वाद संख्या 111/1993 इब्राहीम बनाम सरकार में दिनांक 31.08.2006 को निर्णय पारित हो चुका है। जिससे वादीगण का वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

अतः वादीगण का वाद वादीगण साबित करने में असफल रहे है जिससे अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)